

# न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी  
ओमप्रकाश रैगर(आरटीएस)  
दिनांक 27.01.2021

मि.न. 54/2020

सरकार बनाम रतीराम  
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम मलपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 221/55. 06है0 किस्म चारागाह मेंसे 1.25है0 पर रतीराम पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली गैहूँ सरसों की बुआई कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आया तथा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायल को अनुतोष दिया जा सके। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने पटवारी रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायल का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्ध होता है अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल रतीराम पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम मलपुरा के ख0 न0 221/55.06है0 किस्म चारागाह में से 1.25है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई गैहूँ सरसों की फसल को नीलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 50रु. का पचास गुणा 2500 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नं 2020-20, ..... के रा० ल० 4  
न पृष्ठ संख्या 68.. पर... 25.06.2021  
दृश्य कायम किये गये ।

नायब तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

राजस्व लेखाकाश  
कोटपूतली